

संदर्भ संख्या/Ref. No. AC/S-5/2023/225

दिनांक/Date: 22.06.2023

सूचना/NOTICE

सभी छात्रों को कॉलेज परिसर में अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। छात्र प्रिंसिपल के प्रति अपने आचरण के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें कॉलेज के अंदर कुछ भी करने से प्रतिबंधित किया गया है, जो अनुशासन का उल्लंघन या कॉलेज के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप होगा। अनुशासन के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर छात्र अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यदि, कोई भी छात्र अनुशासनहीनता, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणियों (जाति, संस्कृति, धर्म, रंग आदि के आधार पर) के किसी भी कार्य में शामिल होता है, तो उस पर 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

All the students are advised to maintain discipline in the college campus. Students are responsible for their conduct to the principal and are prohibited from doing anything inside the college, that will amount to breach of discipline or interference in the normal working of the college. A student will be liable to disciplinary action for violation of any of the rules of discipline. If, any student involves in any act of indiscipline, derogatory and discriminatory comments (based on caste, culture, religion, colour etc.) will impose a fine of Rs.5000/-.

छात्रों को स्टाफ के सदस्यों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) और अपने साथी छात्रों के प्रति अनुशासित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। छात्रों को कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना होगा और उच्छृंखल व्यवहार का प्रदर्शन करने से बचना होगा। कक्षाओं के समय मोबाइल फोन और अन्य ऑडियो उपकरणों का उपयोग निषिद्ध है। छात्रों को कॉलेज की संपत्ति की उचित देखभाल करनी चाहिए और उन्हें कॉलेज की संपत्ति, फर्नीचर, फिटिंग आदि को खराब नहीं करना चाहिए या कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए या विस्थापित नहीं करना चाहिए।

Students shall conduct themselves in a disciplined manner both towards the members of the staff (Teaching and Non-Teaching) and towards their fellow students. Students shall maintain perfect discipline in class-rooms and desist from demonstration of disorderly behavior. Use of mobile phones and other audio devices are prohibited during the time of classes. Students shall take proper care of the college property and they must not spoil or cause any damage to or tamper or displace with college property, furniture, fitting etc.

कॉलेज प्राधिकारियों की अनुमति के बिना बाहरी लोगों को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। छात्रों के लिए कॉलेज में पहचान पत्र से प्रवेश होगा और मांगे जाने पर उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।

Outsiders are not allowed inside the college premises without permission of the college authorities. For the students, there shall be identity card entry in the college and they must produce their identity cards when asked.

प्रो मनोज सिन्हा / Prof. Manoj Sinha
प्राचार्य/संस्था प्रमुख Principal/Head of The Institution
आर्यभट्ट कॉलेज/Aryabhatta College

प्रो० प्राचार्य / Prof. Principal
आर्यभट्ट महाविद्यालय/Aryabhatta College
दिल्ली विश्वविद्यालय/University of Delhi
बेनिरो हुआरेज रोड/Benito Juarez Road
नई दिल्ली-110021/New Delhi-110021

Cc: महाविद्यालय की वेबसाइट/College Website
प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन/A. O Administration
नोटिस बोर्डस/Notice Boards